सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं :. NCST/DEV-3248/JH/133/2024-RO-RNC-RU-IV दिनांक : 27.10.2025 30

सेवा मे,

1 **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निर्देशक,**
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड,
रांची, झारखंड 834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

2 **उपायुक्त,**
जिला राँची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

3 **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,**
जिला -राँची
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: अभ्यावेदकगण श्री बालजीत गंझू ग्राम-विश्रामपुर पो.एवं थाना - खलारी, जिला –राँची झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन " विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद-बिकी के संबंध में "।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:-

श्री बालजीत गंझू,
ग्राम-विश्रामपुर, पो० एवं थाना -खलारी,
जिला-राँची,
Jharkhand - 829205,
Mobile No:7070032583

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

NCST/DEV-3248/JH/133/2024-RO-RNC

अभ्यावेदक श्री बालजीत गंझू ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन विश्रामपुर मौजा में अनुसूचित जनजाति के रैयती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद-बिक्री के संबंध में डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को अपराह्न 04:00 बजे, आयोग के मुख्यालय लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सम्पन्न सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 18.09.2025 को दोपहर 04:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I अनुसार।

श्री बालजीत गंझू ग्राम-विश्रामपुर पो. एवं थाना - खलारी, जिला - राँची (झारखण्ड) ने आयोग को लिखित शिकायत की है कि मौजा-विश्रामपुर, खाता नं० 38, प्लॉट नं0 236,284,381,384,385. 407,414,415, 416,417,444,448,525, 534,535,536,540,541, 543,542,544,545,546,548 कुल रकबा 20.60 एकड़, अभ्यावेदक के दादा स्व० श्री सधुवा भोगता, पिता-स्व० श्री ठुमा भोगता के नाम से खतियान में नाम अंकित है । उक्त जमीन को के०डी०एच० परियोजना विस्तारीकरण के लिए सी०सी०एल० द्वारा सन् 2013 में अधिग्रहण किया गया । इसी जमीन को पूर्व में भी सन् 1980 एवं सन् 1992 ई० में सी०सी०एल०. एन० के० एरिया डकरा के द्वारा अधिग्रहण किया गया था एवं अभ्यावेदक के परिवार को नोटिस दिया गया था । लेकिन उस समय उनके परिवार के लोगों को सीसीएल द्वारा न तो नौकरी मिला था और न ही मुआवजा प्रदान किया गया था । उक्त जमीन पर पूर्व में भूमिगत खदान चलाया गया है जिसके कारण जगह-जगह भू-धंसान एवं जहरीले गैस का भी रिसाव होने लग लगा है । सी०सी०एल० के द्वारा उक्त जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी बाहरी लोगों के द्वारा अंचलाधिकारी खलारी से मिलीभगत करके फर्जी खरीद- बिक्री किया गया था वर्तमान में उक्त जमीन अभ्यावेदक के दखल कब्जा में है एवं जमीन का कुल रकबा 20.60 एकड़ का रसीद काटा जाता है । तथा शेष जमीन के बारे में पूछने पर अंचलाधिकारी खलारी के द्वारा बताया गया कि आपके पूर्वजों के द्वारा बिक्री कर दिया गया है । उनके दादा के द्वारा जब अंचलाधिकारी को बयान दिया गया कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा कभी भी जमीन बिक्री नहीं किया गया है और न उनके परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी है । उनके परिवार के सदस्यों का अंचल कार्यालय खलारी एवं मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय सी०सी०एल०, एन० के० एरिया डकरा का चक्कर लगवाया जा रहा है । उक्त जमीन पर बाहरी लोगों के द्वारा इस जमीन का अंचलाधिकारी खलारी की मिलीभगत से सत्यापन करवा कर नौकरी एवं मुआवजा के लिए सी०सी०एल०. एन. के. एरिया डकरा में आवेदन दिया है ।

2. इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आयोग द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल, रांची, उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - रांची (झारखंड) को नोटिस दिनांक 14.10.2024 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में महाप्रबंधक (का. एवं औ.सं.), सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, राँची (झारखंड) से दिनांक 23.12.2024 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे श्री बालजीत गंझू को जानकारी हेतु अग्रेषित किया गया था।

4. प्रकरण के संबंध में महाप्रबंधक (का एवं औ.सं) सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, राँची (झारखंड) से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अभ्यावेदक श्री बालजीत गंझू को टिप्पणी/सूचना हेतु भेजा गया था जिससे अंसतुष्ट होकर अभ्यावेदक ने दिनांक 29.03.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय रांची को रिजोइंडर भेजा ।

5. प्रकरण के संबंध में उपायुक्त, जिला - रांची से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व उप निरीक्षक-सह-अंचल निरीक्षक से जाँच मामले की जाँच करवाई गई। । जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा विश्रामपुर, खाता सं०- 38, प्लॉट सं०- 238 तथा अन्य प्लॉट सहित कुल रकबा 20.60 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में सधुवा भोगता वल्द ठुमा कौम भोगता के नाम से कायमी दर्ज है। उक्त भूमि का नामांतरण वर्तमान में स्थगित है एवं वर्तमान में अंचल कार्यालय द्वारा उक्त खाता से संबंधित भूमि का सत्यापन नहीं किया जा रहा है ।

6. उक्त प्रकरण में मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 18.09.2025 को आयोग के मुख्यालय में सुनवाई निर्धारित की गई। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीएल, रांची, तथा उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - रांची (झारखंड) को समुचित रूप से सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किए गए। अभ्यावेदक को भी उक्त सूचना से अवगत करा दिया गया।

7. सुनवाई के दौरान, जिला रांची (झारखंड) के उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित नहीं रहे। वहीं, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की ओर से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) स्वयं उपस्थित नहीं हुए; उनकी ओर से महाप्रबंधक (General Manager) (मानव संसाधन / जनशक्ति एवं औद्योगिक संबंध) को अधिकृत कर प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। आवेदक भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे ।

8. सुनवाई के दौरान CCL के अधिकारियों ने अवगत कराया कि:

i. खाता संख्या 38 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 381, 384, 385, 407, 414, 415, 416, 417, 444 का स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोई मुआवजा या रोजगार लाभ नहीं दिया गया। दोहरी स्वामित्व प्रमाणन (Double authentification) का भी मामला दर्ज है ।

ii. प्लॉट संख्या 448 का स्वामित्व पंजीकृत विलेख (registered deed) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, अतः श्री बालजीत गंझू को इस पर कोई लाभ नहीं मिल सकता।

iii. प्लॉट संख्या 284 के लिए मुआवजा पूर्व में श्री सधुवा भोगता को प्रदान किया जा चुका है। तथापि, अभ्यावेदक ने यह आपत्ति दर्ज की है कि उक्त भू-खण्ड के संबंध में जिसे सीसीएल द्वारा नियुक्ति दी गई है, उसका श्री सधुवा भोगता अथवा उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। अभ्यावेदक ने मुआवजा एवम्रोजगार दो अन्य व्यक्तियों को दिये जाने पर आपत्ति व्यक्त की ।

iv. प्लॉट संख्या 525, 534, 535, 536, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 और 548 के लिए मुआवजा और रोजगार लाभ पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

9. आवेदक ने CCL द्वारा दी गयी जानकारी पर असहमति व्यक्त की ।

10. आयोग द्वारा इस प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं:

i. खाता संख्या 38 के अंतर्गत सभी संबंधित प्लॉटों के संदर्भ में यह विस्तृत जानकारी एक समर्पित प्रतिवेदन के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराई जाए कि किन-किन व्यक्तियों को कितना मुआवज़ा प्रदान किया गया तथा किसे रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ii. खाता संख्या 38 के अंतर्गत प्लॉट संख्या 381, 384, 385, 407, 414, 415, 416, 417 एवं 444 की स्वामित्व स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः इनकी स्वामित्व स्थिति का उपायुक्त, रांची, झारखंड द्वारा तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाए।

iii. अगली सुनवाई में उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), भू-अर्जन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी (CO), खलारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

आशा लकड़ा
14/10/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV 3248/JH/133/2024 RO RNC RU IV

Sitting to be held on **18.09.2025 at 04:00 P.M** विश्रामपुर मौज़ा मे अनुसूचित जनजाति के रेयाती जमीन का बाहरी लोगों के द्वारा फर्जी खरीद बिकी के संबंध मे अभ्यावेदकगण **श्री बालजीत गंझू**, ग्राम - विश्रामपुर थाना – खलारी, जिला - रांची (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Chairman and Managing Director, CCL, Ranchi**		
1.	कविता गुप्ता, महाप्रबंधक (मा.सं.)	CCL, HQ, राँची 7970713417	[signature] 18/9/25
2.	Navnit Jha	CM(M) L&R CCL	[signature] 18/09/25
3.	Manish Kongari	Mgr (HR) LO	[signature] 18/9/25
4			
III	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi**		
1.			
2.			
3			
4.			
IV	**Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, Ranchi**		
1.			
2.			
3.			
4.			
VI	**Petitioners**		
1.	बालजीत गंझू	7070032583	
2.			
3.			